

मेयर-इन कौंसिल संकल्प क्रमांक. 1033 दिनांक 26.2.2014
गत सभा दिनांक 20.2.14 के कार्यवृत्त की पुष्टि की जाती है।

(ह.) कृष्णमुरारी मोघे
महापौर / पदेन अध्यक्ष
मेयर-इन-कौंसिल
नगर पालिक निगम, इंदौर

क्रमांक.....

दिनांक.....

प्रतिलिपी:-

- 1- आयुक्त
- 2- रेसीडेन्ट आडिट
- 3- सूचना एवं प्रौद्योगिकी अधिकारी, न.पा.नि. इंदौर
- 4- लोक सूचना अधिकारी, न.पा.नि. इंदौर
की जानकारी एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

सचिव
नगर पालिक निगम, इंदौर

मेयर-इन-कौंसिल संकल्प क्रमांक 1034 दिनांक 26.02.2014

झोन क्रमांक 02 क्रमांक 06 में लोकनायक नगर में हेडिंग से ईट भट्टा तक सीमेंटीकरण करने के संबंध में आयुक्त के पत्र क्र. 246/सीई/बिल्स/13-14 दिनांक 24-02-2014 पर विचार किया गया।

2. विचारोपरान्त आयुक्त के पत्र के संलग्न संक्षेपिका में दर्शाई स्थिति एवं अनुशंसा के प्रकाश में सदर कार्य हेतु अनुमान पत्रक राशि रूपये 19,37,000/- की दिनांक 21-10-2013 को प्राप्त 02 निविदाओं में निविदा समिति की अनुशंसा अनुसार न्यूनतम निविदादाता मेसर्स जी.जी. इन्टरप्राइजेस द्वारा प्रस्तुत दर राशि रूपये 1.98 प्रतिशत कम की राशि रूपये 38,353/- रहित कुल आकार राशि रूपये 18,98,647/- के कार्य की प्रस्ताव अनुसार वित्तीय स्वीकृति दी जाती है। इसमें होने वाला व्यय संबंधित बजट मद में से होगा।

3. किये जाने वाला कार्य मानक स्तर एवं गुणवत्ता पूर्ण होने के प्रमाणीकरण के पश्चात ही भुगतान किया जावे।

आयुक्त नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करे।

(ह) कृष्णमुरारी मोघे
महापौर/पदेन अध्यक्ष
मेयर इन कौंसिल
नगर पालिक निगम, इन्दौर
दिनांक 26.2.14

क्रमांक 2049-50

प्रतिलिपी:-

1. आयुक्त, संलग्न-एक फाईल।
2. रेसीडेन्ट आडिट की और जानकारी एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

सचिव
नगर पालिक निगम, इन्दौर

मेयर-इन-कौंसिल संकल्प क्रमांक 1035 दिनांक 26.02.2014

लेण्डफिल पर संचालित डीपर हेतु मस्टर कर्मचारियों की व्यवस्था के संबंध में स्वास्थ्य एवं चिकित्सा समिति की राय पृष्ठांकन क्र. 83 दिनांक 19-02-2014 पर विचार किया गया।

2. विचारोपरान्त स्वास्थ्य एवं चिकित्सा समिति की राय में दर्शाई स्थिति एवं अनुशंसा के प्रकाश में लेण्डफिल पर संचालित डीपर हेतु 05 कुशल श्रमिक (ड्रायवर) एवं 05 अकुशल श्रमिक (हेल्पर) की कार्य आवश्यकता होने के औचित्य के आधार पर नितांत अस्थाई रूप से (कोई क्लेम मान्य नहीं होगा) नियमानुसार ब्रेक देकर 29-29 दिवस के लिए जिलाधीश द्वारा निर्धारित पारिश्रमिक दर पर दिनांक 01.03.2014 से दिनांक 31 जुलाई 2014 तक कार्य लिये जाने की स्वीकृति दी जाती है, इसमें होने वाला व्यय संबंधित बजट मद में से होगा।

3. विभागीय अधिकारी के कार्य प्रमाणीकरण के पश्चात ही भुगतान किया जावे।

आयुक्त नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करे।

(ह)कृष्णमुरारी मोघे
महापौर/पदेन अध्यक्ष
मेयर इन कौंसिल
नगर पालिक निगम,इन्दौर
दिनांक 26.02.14

क्रमांक 2051-52

प्रतिलिपी:-

1. आयुक्त, संलग्न-एक फाईल।
2. रेसीडेन्ट आडिट
की और जानकारी एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
3. सूचना एवं प्रौद्योगिकी अधिकारीकी ओर वेबसाईट पर लोड करने हेतु।

सचिव
नगर पालिक निगम,इन्दौर

मेयर-इन-कौंसिल संकल्प क्रमांक 1036 दिनांक 26.02.2014

लेण्डफिल पर कंसलटेन्ट की राय अनुसार निविदा पूर्ण होने तक 01 जेसीबी किराये पर लेने के संबंध में स्वास्थ्य एवं चिकित्सा समिति की राय पृष्ठांकन क्र. 83 दिनांक 19-02-2014 पर विचार किया गया।

2. विचारोपरान्त स्वास्थ्य एवं चिकित्सा समिति की राय में दर्शाई स्थिति एवं अनुशंसा के प्रकाश में लेण्डफिल कंसलटेन्ट की राय अनुसार निविदा पूर्ण होने तक 01 जेसीबी निगम की स्वीकृत दर पर किराये से दिनांक 01.03.2014 से दिनांक 31.07.2014 तक कार्य लिये जाने की स्वीकृति दी जाती है, इसमें होने वाला व्यय संबंधित बजट मद में से होगा।

3. विभागीय अधिकारी के कार्य प्रमाणीकरण के पश्चात ही भुगतान किया जावे।

आयुक्त नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करे।

(ह)कृष्णामुरारी मोघे
महापौर/पदेन अध्यक्ष
मेयर इन कौंसिल
नगर पालिक निगम,इन्दौर
दिनांक 26.02.14

क्रमांक 2053-54

प्रतिलिपी:-

1. आयुक्त, संलग्न-एक फाईल।
2. रेसीडेन्ट आडिट
की और जानकारी एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
3. सूचना एवं प्रौद्योगिकी अधिकारीकी ओर वेबसाईट पर लोड करने हेतु।

सचिव
नगर पालिक निगम,इन्दौर

मेयर-इन-कौंसिल संकल्प क्रमांक 1037 दिनांक 26.02.2014

ए.बी.रोड़ स्थित पिपल्यापाला श्मशान परिसर में शवदाह गृह, शोकसभा आदि स्थल पर रिपेयरिंग कार्य तथा अस्थि संचय कक्ष का निर्माण करने के संबंध में आयुक्त का पत्र क्र. 212/सी ई./बिल्स/13-14 दिनांक 6.2.14 पर आवास पर्यावरण एवं लोकनिर्माण समिति की राय क्रमांक 429 दिनांक 24.2.14 पर विचार किया गया।

2. विचारोपरान्त आयुक्त के पत्र के संलग्न संक्षेपिका में दर्शाई स्थिति एवं अनुशंसा के प्रकाश में सदर कार्य हेतु अनुमान पत्रक राशि रूपये 21,35,000/- की प्रस्ताव अनुसार तकनीकी, प्रशासकीय तथा निविदा आमंत्रण की स्वीकृति दी जाती है। इसमें होने वाला व्यय संबंधित बजट मद में से होगा।

आयुक्त नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करे।

(ह)कृष्णमुरारी मोघे
महापौर/पदेन अध्यक्ष
मेयर इन कौंसिल
नगर पालिक निगम,इन्दौर
दिनांक 26.02.14

क्रमांक 2055-56

प्रतिलिपी:-

1. आयुक्त, संलग्न-एक फाईल।
2. रेसीडेन्ट आडिट
की और जानकारी एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
3. सूचना एवं प्रौद्योगिकी अधिकारीकी ओर वेबसाईट पर लोड करने हेतु।

सचिव
नगर पालिक निगम,इन्दौर

मेयर-इन-कौंसिल संकल्प क्रमांक 1038 दिनांक 26.02.2014

मद में पुनर्विनियोग करने के संबंध में आयुक्त के पत्र क्र. 2946 दिनांक 24.02.2014 पर प्रभारी स्वास्थ्य एवं चिकित्सा समिति की राय पर विचार किया गया।

2. विचारोपरान्त आयुक्त के पत्र के संलग्न संक्षेपिका में दर्शाई स्थिति एवं अनुशंसा के प्रकाश में वर्ष 2013-14 हेतु स्वास्थ्य विभाग के विभागीय मद " कचरा परिवहन एवं संग्रहण पर व्यय " मद क्रमांक 2304008 में राशि कमी होने से राशि की आवश्यकता के दृष्टिगत स्वास्थ्य विभाग के विभागीय मद नाम- " घर घर से कचरा इकट्ठा योजना पर व्यय " मद क्रमांक 2308034 में प्रावधानित राशि में से राशि रूपये 200.00 लाख का पुनर्विनियोग अन्तरित करने की स्वीकृति दी जाती है।

आयुक्त नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करे।

(ह)कृष्णमुरारी मोघे
महापौर/पदेन अध्यक्ष
मेयर इन कौंसिल
नगर पालिक निगम,इन्दौर

क्रमांक 2057-58

दिनांक 26.2.14

प्रतिलिपी:-

1. आयुक्त, संलग्न-एक फाईल।
2. रेसीडेन्ट आडिट की और जानकारी एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

सचिव
नगर पालिक निगम,इन्दौर

मेयर-इन-कौंसिल संकल्प क्रमांक 1039 दिनांक 26.02.2014

सिंहस्थ कार्यों के अन्तर्गत सांवेर औद्योगिक क्षेत्र के एफ्यूलिण्ट को खान नदी में डालने के लिए सी.टी.पी. निर्माण की कंसलटेंसी की निविदा के संबंध में आयुक्त का पत्र क्रमांक 194/ज.य. एवं ड्र.यो.शा./न.पा.नि./इन्दौर दिनांक 26.02.2014 पर विचार किया गया।

2. विचारोपरान्त आयुक्त के पत्र के संलग्न संक्षेपिका में दर्शाई स्थिति एवं अनुशंसा के प्रकाश में सदर कार्य हेतु अनुमान पत्रक राशि रूपये 50.00 लाख के कार्य की तकनीकी, प्रशासकीय स्वीकृति एवं उक्त कार्य के लिए कंसलटेंट नियुक्त करने हेतु निविदा पत्र का अनुमोदन तथा निविदा जारी करने की विभागीय प्रस्ताव अनुसार स्वीकृति दी जाती है।

आयुक्त नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करे।

(ह)कृष्णमुरारी मोघे
महापौर/पदेन अध्यक्ष
मेयर इन कौंसिल
नगर पालिक निगम,इन्दौर

क्रमांक 2029-60

दिनांक 26.2.14

प्रतिलिपी:-

1. आयुक्त, संलग्न-एक फाईल।
2. रेसीडेन्ट आडिट की और जानकारी एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

सचिव
नगर पालिक निगम,इन्दौर

मेयर-इन-कौंसिल संकल्प क्रमांक 1040 दिनांक 26.2.14

नगर पालिक निगम, इन्दौर की सीमा वृद्धि के संबंध में आयुक्त का पत्र क्रमांक 17 दिनांक 26-02-2014 पर विचार किया गया। मेयर-इन-कौंसिल संकल्प क्रमांक 256 दिनांक 13/10/2011 एवं नगर पालिक निगम संकल्प क्रमांक 121 दिनांक 30/11/2011 का अवलोकन किया गया।

2. नगर पालिक निगम, इन्दौर की सीमा वृद्धि के संबंध में श्री किशोर कोडवानी द्वारा माननीय उच्च न्यायालय, खण्डपीठ इन्दौर के समक्ष एक जनहित याचिका क्रमांक 477/2013 प्रस्तुत की गई जिसमें याचिकाकर्ता द्वारा प्रारूप 2011 के मास्टर प्लान अनुसार क्षेत्र के शामिल सभी 90 ग्रामों की सीमा क्षेत्र में सम्मिलित करने के संबंध में न्यायालय से प्रार्थना की गई है।

3. आयुक्त के पत्र में उल्लेखित अनुसार उपसचिव, म.प्र. शासन नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग का पत्र क्रमांक एफ-1/39/2007/18-3 भोपाल दिनांक 09 जनवरी 2008 द्वारा निगम के वित्तीय साधन एवं मूलभूत सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए सीमा वृद्धि करने हेतु निगम को पत्र प्राप्त हुआ है। 27 अगस्त 2011 को सम्पन्न जिला योजना समिति के प्रस्ताव के क्रम में पूर्व प्रस्तावित 27 ग्रामों से संबद्ध ग्राम पंचायतों के सम्पूर्ण क्षेत्र को (इन ग्राम की संबद्ध 23 ग्राम पंचायतें जिनमें कुल 29 ग्राम हैं) शामिल करने का निर्णय मेयर इन कौंसिल संकल्प क्रमांक 256 दिनांक 13 अक्टूबर 2011 एवं नगर पालिक निगम संकल्प क्रमांक 121 दिनांक 30 नवम्बर 2011 से लिया गया।

जिला योजना समिति बैठक 27 अगस्त 2011 का अनुमोदन एवं निगम प्रस्ताव के क्रम में कलेक्टर, जिला इन्दौर, द्वारा शासन को प्रारंभिक अधिसूचना जारी करने हेतु प्रस्ताव प्रेषित किया गया।

4. म.प्र. शासन नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग द्वारा इन्दौर नगर निगम सीमा में 23 ग्राम पंचायतों में 29 गावों को शामिल करने का अभिप्राय प्रकट करते हुए प्रारंभिक अधिसूचना म.प्र. राजपत्र में दिनांक 17/02/2012 को प्रकाशित की जाकर दावे आपत्ति आमंत्रित किये गये। प्राप्त दावे-आपत्तियों के संबंध में कलेक्टर, जिला इन्दौर को प्रेषित अभिमत के आधार पर म.प्र. शासन, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग द्वारा म.प्र. राजपत्र में दिनांक 05/02/2013 को अंतिम अधिसूचना प्रकाशित की गई। माननीय उच्च न्यायालय, खण्डपीठ इन्दौर के समक्ष दायर जनहित याचिका क्रमांक 5196/2013 में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 13/02/2014 को निर्णय पारित कर उक्त अंतिम अधिसूचना दिनांक 05/02/2013 को अपास्त किया गया। तदोपरान्त शासन के निर्देश दिनांक 06/02/2014 के परिप्रेक्ष्य में कलेक्टर, जिला इन्दौर द्वारा पुनः 13/02/2014 को दावे आपत्तियों की सुनवाई की गई। सुनवाई की जाकर शासन में अपना अभिमत प्रेषित किया गया।

5. विचारोपरान्त आयुक्त के पत्र के संलग्न संक्षेपिका में उल्लेखित उपरोक्त स्थिति एवं चर्चा के प्रकाश में वर्तमान में 23 ग्राम पंचायतों के 29 गावों को निगम सीमा में शामिल करने की प्रक्रिया प्रचलन में होकर पूर्णता की ओर है। ऐसी स्थिति में श्री कोडवानी के सुझाव पर वर्तमान स्थिति में विचार किया जाना उचित नहीं होगा। सीमा वृद्धि के आगामी चरण में इस पर विचार किया जा सकेगा।

आयुक्त नियमानुसार कार्यवाही करें।

[ह.]कृष्णमुरारी मोघे
महापौर/पदेन अध्यक्ष
मेयर इन कौंसिल
नगर पालिक निगम,इन्दौर
दिनांक 26.2.14

क्रमांक 2061-62

प्रतिलिपी:-

1. आयुक्त, संलग्न-एक फाईल।
2. रेसीडेन्ट आडिट
की और जानकारी एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
3. सूचना एवं प्रौद्योगिकी अधिकारी की ओर वेबसाईट पर लोड करने हेतु।

सचिव
नगर पालिक निगम,इन्दौर

मेयर-इन-कौंसिल संकल्प क्रमांक 1041 दिनांक 26.02.2014

जे.एन.एन.यू.आर.एम. के अन्तर्गत सागर बांध के डाउन स्ट्रीम के दोनो किनारों पर ट्रेनिंग वॉल कार्य निविदा के संबंध में आयुक्त के पत्र क्र. 185/सीई दिनांक 26.02.2014 पर विचार किया गया। मेयर-इन-काउंसिल संकल्प क्रमांक 853 दिनांक 06-02-2014 एवं संकल्प क्रमांक 918 दिनांक 22-03-2013 का अवलोकन किया गया।

2. विचारोपरान्त आयुक्त के पत्र के संलग्न संक्षेपिका में दर्शाई स्थिति एवं अनुशंसा के प्रकाश में सदर कार्य हेतु अनुमान पत्रक राशि रूपये 2.16 करोड के कार्य की तृतीयबार दिनांक 07-08-2013 को प्राप्त 02 निविदाओं में निगोसिएशन हेतु गठित समिति की अनुशंसा अनुसार न्यूनतम दरदाता फर्म मे. प्रमोद शर्मा कांटेक्टर्स, इन्दौर द्वारा निगोसिएशन में दी गई सहमति अनुसार न्यूनतम निगोसिएटेट दर राशि रूपये 3,13,02,083/- पर कार्य कराने की स्वीकृति दी जाती है।

3. कार्य निर्धारित मानक स्तर का एवं गुणवत्ता पूर्ण होने व कार्य के प्रमाणीकरण के पश्चात ही भुगतान किया जावे।

आयुक्त नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करे।

(ह)कृष्णमुरारी मोघे
महापौर/पदेन अध्यक्ष
मेयर इन कौंसिल
नगर पालिक निगम,इन्दौर

क्रमांक 2063-64

दिनांक 26.2.14

प्रतिलिपी:-

1. आयुक्त, संलग्न-एक फाईल।
2. रेसीडेन्ट आडिट की और जानकारी एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

सचिव
नगर पालिक निगम,इन्दौर

मेयर-इन-कौंसिल संकल्प क्रमांक 1042 दिनांक 26.02.2014

यशवंत सागर नवी न बांध डाउन स्ट्रीम चैनल ट्रेनिंग वॉल निर्माण कार्य हेतु सुपरविजन कंसलटेंट नियुक्ति के संबंध में आयुक्त के पत्र क्र. 186/सीई दिनांक 26.02.2014 पर विचार किया गया।

2. विचारोपरान्त आयुक्त के पत्र के संलग्न संक्षेपिका में दर्शाई स्थिति एवं अनुशंसा के प्रकाश में सदर कार्य हेतु अनुमान पत्रक राशि रूपये 320.00 लाख के कार्य हेतु सुपर विजन कंसलटेंट की नियुक्ति के लिये प्राप्त 02 निविदाओं में टेंडर इवेल्यूएशन कमेटी की अनुशंसा अनुसार न्यूनतम निविदादाता मे. केड सिस्टम एंड सर्विसेस प्रा. लि., इन्दौर द्वारा प्रस्तुत दर 2.38 प्रतिशत (सर्विस टेक्स अतिरिक्त) की दर पर कार्य कराने एवं बजट आवंटन की स्वीकृति दी जाती है।

3. विभागीय अधिकारी के कार्य प्रमाणीकरण के पश्चात ही भुगतान किया जावे।

आयुक्त नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करे।

(ह) कृष्णमुरारी मोघे
महापौर/पदेन अध्यक्ष
मेयर इन कौंसिल
नगर पालिक निगम, इन्दौर

क्रमांक 2065-66

दिनांक 26.2.14

प्रतिलिपी:-

1. आयुक्त, संलग्न-एक फाईल।
2. रेसीडेन्ट आडिट की और जानकारी एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

सचिव
नगर पालिक निगम, इन्दौर

मेयर-इन-कौंसिल संकल्प क्रमांक 1043 दिनांक 26-02-2014

झोन क्रमांक 7 में कॉल सेंटर से प्राप्त शिकायतों का निराकरण पेंशन, राशनकार्ड, नल कनेक्शन एवं समग्र पोर्टल की मासिक जानकारी हेतु नियुक्त एक मस्टर कुशल श्रमिक की आगामी स्वीकृति के संबंध में आयुक्त का पत्र क्रमांक 3459/ए दिनांक 19-02-10 पर विचार किया गया।

3. विचारोपान्त आयुक्त के पत्र के संलग्न संक्षेपिका में दर्शाई स्थित एवं अनुशंसा के प्रकाश में मेयर-इन-काउंसिल संकल्प क्रमांक 629 दिनांक 31-08-2013 के तारतम्य में दिनांक 31-12-2013 तक दी स्वीकृति समाप्त होने से तथा कार्य आवश्यकता एवं औचित्य के आधार पर एक मस्टर श्रमिक नियमानुसार ब्रेक देकर 29-29 दिवस के लिए जिलाधीश द्वारा निर्धारित पारिश्रमिक दर पर नितांत अस्थाई रूप से (कोई क्लेम मान्य नहीं होगा) दिनांक 01-01-2014 से दिनांक 31 जुलाई 2014 तक कार्य लिये जाने की स्वीकृति दी जाती है। इसमें होने वाला व्यय संबंधित बजट मद में से होगा।

5. विभागीय अधिकारी के कार्य प्रमाणीकरण के पश्चात ही भुगतान किया जावे।

आयुक्त नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करे।

(ह)कृष्णमुरारी मोघे
महापौर/पदेन अध्यक्ष
मेयर इन कौंसिल
नगर पालिक निगम,इन्दौर
दिनांक 26.02.14

क्रमांक 2067-68

प्रतिलिपी:-

1. आयुक्त, संलग्न-एक फाईल।
2. रेसीडेन्ट आडिट
की और जानकारी एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
3. सूचना एवं प्रौद्योगिकी अधिकारीकी ओर वेबसाईट पर लोड करने हेतु।

सचिव
नगर पालिक निगम,इन्दौर

मेयर-इन-कौंसिल संकल्प क्रमांक 1044 दिनांक 26.02.2014

33 के. व्ही. टावर लाईन का 01 टावर गिरने के संबंध में आयुक्त के पत्र क्र. 501/पी.एम./पी.आई.यू./ इन्दौर दिनांक 26.02.2014 पर विचार किया गया।

2. विचारोपरान्त आयुक्त के पत्र के संलग्न संक्षेपिका में दर्शाई स्थिति एवं अनुशंसा के प्रकाश में दिनांक 25.02.2014 को भारी वर्षा एवं आंधी में पम्प हाउस क्र. 3 के आगे अट्टारह सौवी पहाड़ी (एयर वाल्व चैम्बर क्र. 28) के सामने वन क्षेत्र में 33 के.वी. टॉवर लाईन के गिरे हुये टॉवर को पुर्नस्थापित करने हेतु अधीक्षण यंत्री (ई.एच.टी.) एम.पी.पी.टी.सी.एल., इन्दौर से प्रस्ताव अनुसार अनुमानित राशि रू. 5,92,000.00 (रू. पांच लाख बानबे हजार मात्र) की तकनीकी, प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान की जाती है। इसमें होने वाला व्यय संबंधित बजट मद से किया जावे।

3. कार्य निर्धारित मानक स्तर का एवं गुणवत्ता पूर्ण होने व कार्य के प्रमाणीकरण के पश्चात ही भुगतान किया जावे।

आयुक्त नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करे।

(ह)कृष्णमुरारी मोघे
महापौर/पदेन अध्यक्ष
मेयर इन कौंसिल
नगर पालिक निगम,इन्दौर

क्रमांक 2069-70

दिनांक 26.02.2014

प्रतिलिपी:-

1. आयुक्त, संलग्न-एक फाईल।
2. रेसीडेन्ट आडिट की और जानकारी एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

सचिव
नगर पालिक निगम,इन्दौर

मेयर-इन-कौंसिल संकल्प क्रमांक 1045 दिनांक 26.02.2014

मुख्यमंत्री अधोसंरचना विकास योजनांतर्गत खान एवं सरस्वती नदियों में मिलने वाले आउटफॉल सीवर्स को प्रायमरी लाईन से जोड़ने हेतु सीवरेज सिस्टम के कार्य की निविदा के संबंध में आयुक्त के पत्र क्र. 192 दिनांक 26.02.2014 पर विचार किया गया। मेयर-इन-काउंसिल संकल्प क्रमांक 854 दिनांक 06-02-2014 का अवलोकन किया गया।

2. विचारोपरान्त आयुक्त के पत्र के संलग्न संक्षेपिका में दर्शाई स्थिति एवं अनुशंसा के प्रकाश में सदर कार्य हेतु प्राप्त निविदा दर के संबंध में कंसलटेंट एवं निगोसिएशन समिति की राय अनुसार प्राप्त दरें अधिक प्रतित होने से विभागीय प्रस्ताव अनुसार निविदा निरस्त कर पुनः निविदा आमंत्रित करने की स्वीकृति दी जाती है।

3. विभागीय प्रस्ताव अनुसार ही निविदा में अधिक प्रतिस्पर्धा को बढ़ाने हेतु निविदा शर्तों में 10 प्रतिशत रोड रेस्टोटेसन में राशि घटाने व 10 प्रतिशत मोबिलाईजेशन एडवांस एवं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में आर.सी.सी. सीवर लाईन में अनुभव के साथ अन्य पाईप की सीवर लाईन / स्ट्रॉर्म वाटर लाईन डालने की शर्त के साथ ही निगम हित में अन्य शर्तों को सम्मिलित करने हेतु आयुक्त को अधिकृत किया जाता है।

आयुक्त नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करे।

(ह)कृष्णमुरारी मोघे
महापौर/पदेन अध्यक्ष
मेयर इन कौंसिल
नगर पालिक निगम,इन्दौर

क्रमांक 2071-72

दिनांक 26.2.14

प्रतिलिपी:-

1. आयुक्त, संलग्न-एक फाईल।
2. रेसीडेन्ट आडिट की और जानकारी एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

सचिव
नगर पालिक निगम,इन्दौर

मेयर-इन-कौंसिल संकल्प क्रमांक 1046 दिनांक 26.02.2014

जे.एन.एन.यू.आर.एम. योजनान्तर्गत 6 नालों में मिलने वाले आउटफॉल सीवर्स को प्रायमरी लाईन में जोड़ने हेतु सीवेज सिस्टम के कार्य के संबंध में आयुक्त के पत्र क्र. 191 दिनांक 26.02.2014 पर विचार किया गया। मेयर-इन-काउंसिल संकल्प क्रमांक 855 दिनांक 06-02-2014 का अवलोकन किया गया।

2. विचारोपरान्त आयुक्त के पत्र के संलग्न संक्षेपिका में दर्शाई स्थिति एवं अनुशंसा के प्रकाश में सदर कार्य हेतु प्राप्त निविदा दर के संबंध में कंसलटेंट एवं निगोसिएशन समिति की राय अनुसार प्राप्त दरें अधिक प्रतित होने से विभागीय प्रस्ताव अनुसार निविदा निरस्त कर पुनः निविदा आमंत्रित करने की स्वीकृति दी जाती है।

3. विभागीय प्रस्ताव अनुसार ही निविदा में अधिक प्रतिस्पर्धा को बढ़ाने हेतु निविदा शर्तों में 10 प्रतिशत रोड रेस्टोटेसन में राशि घटाने व 10 प्रतिशत मोबिलाईजेशन एडवांस एवं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में आर.सी.सी. सीवर लाईन में अनुभव के साथ अन्य पाईप की सीवर लाईन / स्ट्रार्म वाटर लाईन डालने की शर्त के साथ ही निगम हित में अन्य शर्तों को सम्मिलित करने हेतु आयुक्त को अधिकृत किया जाता है।

आयुक्त नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करे।

(ह)कृष्णमुरारी मोघे
महापौर/पदेन अध्यक्ष
मेयर इन कौंसिल
नगर पालिक निगम,इन्दौर

क्रमांक 2073-74

दिनांक 26.2.14

प्रतिलिपी:-

1. आयुक्त, संलग्न-एक फाईल।
2. रेसीडेन्ट आडिट की और जानकारी एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

सचिव
नगर पालिक निगम,इन्दौर

मेयर-इन-कौंसिल संकल्प क्रमांक 1047 दिनांक 26-02-2014

झोन पर कार्यरत अतिरिक्त श्रमिकों की अवधि वृद्धि बढ़ाने के संबंध में आयुक्त का पत्र क्रमांक 2767-ए दिनांक 05-02-2014 पर विचार किया गया।

2. विचारोपरान्त आयुक्त के पत्र के अनुलग्न संक्षेपिका में दर्शाई स्थिति एवं अनुशांसा के प्रकाश में मेयर-इन-काउंसिल संकल्प क्रमांक 328 दिनांक 07-08-2013 के तारतम्य में स्वास्थ्य विभाग के अन्तर्गत निम्नांकित झोनल कार्यालयों पर उनके सम्मुख उल्लेखित अनुसार दैनिक वेतन भोगी मस्टर सफाई श्रमिकों की अवधि दिनांक 31-12-2013 को समाप्त होने से कार्य आवश्यकता एवं औचित्य के आधार पर नियमानुसार ब्रेक देकर 29-29 दिवस के लिए जिलाधीश द्वारा निर्धारित पारिश्रमिक दर पर नितांत अस्थाई रूप से (कोई क्लेम मान्य नहीं होगा) दिनांक 01-01-2014 से दिनांक 31 जुलाई 2014 तक अवधि वृद्धि की जाने की स्वीकृति दी जाती है। इसमें होने वाला व्यय संबंधित बजट मद में से होगा।

अ.क्र.	झोन क्रमांक	कुल श्रमिक
1	01	95
2	02	51
3	03	65
4	04	80
5	05	55
6	06	50
7	07	85
8	08	100
9	09	40
10	10	45
11	11	75
12	12	50
13	13	80
14	14	60
15	15	65

3. विभागीय बजट मद "मौसमी आवश्यक कार्य" में से उक्त श्रमिकों का पारिश्रमिक भुगतान किया जाता है, उक्त मद राशि रूपये 86 लाख शेष होने से वित्तीय वर्ष के 3 माह के भुगतान हेतु राशि रूपये 200 लाख की आवश्यकता को दृष्टिगत रखते हुए विभागीय बजट मद "अस्थाई श्रमिकों का पारिश्रमिक" में से राशि रूपये 200 लाख पुनर्विनियोग कर बजट मद "मौसमी आवश्यक कार्य" में करने की स्वीकृति दी जाती है।

4. विभागीय अधिकारी के कार्य प्रमाणीकरण के पश्चात ही भुगतान किया जावे।
आयुक्त नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करे।

(ह.)कृष्णमुरारी मोघे
महापोर/पदेन अध्यक्ष
मेयर इन कौंसिल
नगर पालिक निगम,इन्दौर
दिनांक 26.02.114

क्रमांक 2075-76
प्रतिलिपी:-

1. आयुक्त, संलग्न-एक फाईल।
2. रेसीडेन्ट आडिट की और जानकारी एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
3. सूचना एवं प्रौद्योगिकी अधिकारीकी ओर वेबसाईट पर लोड करने हेतु।

सचिव

नगर पालिक निगम,इन्दौर

मेयर-इन-कौंसिल संकल्प क्रमांक 1049 दिनांक 26.02.2014

जूनी इन्दौर हरिजन कालोनी स्थित निगम कम्युनिटी हॉल की मरम्मत तथा नवीनीकरण कार्य करने के संबंध में आयुक्त का पत्र क्रमांक 251/सी.ई./बिल्स/13-14 दिनांक 24-02-2014 पर विचार किया गया।

2. विचारोपरान्त आयुक्त के पत्र के संलग्न संक्षेपिका में दर्शाई स्थिति एवं अनुशंसा के प्रकाश में सदर कार्य हेतु अनुमान पत्रक राशि रूपये 35,20,000/- के कार्य की प्रस्ताव अनुसार तकनीकी, प्रशासकीय एवं निविदा दर आमंत्रण करने की स्वीकृति दी जाती है।

आयुक्त नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करे।

(ह)कृष्णमुरारी मोघे
महापौर/पदेन अध्यक्ष
मेयर इन कौंसिल
नगर पालिक निगम,इन्दौर

क्रमांक 2077-78

दिनांक 26.2.14

प्रतिलिपी:-

1. आयुक्त, संलग्न-एक फाईल।
2. रेसीडेन्ट आडिट की और जानकारी एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

सचिव
नगर पालिक निगम,इन्दौर

मेयर-इन कौंसिल संकल्प क्रमांक 1050 दिनांक 26-02-2014

झोन क्रमांक 12 वार्ड क्रमांक 64 जबरन कालोनी तीरथबाई कलाचन्द्र स्कूल के पीछे से जबरन कालोनी होते आलापुरा तक आर.सी.सी. ओपन नाले का निर्माण करने के संबंध में आयुक्त का पत्र क्रमांक 249/सी.ई./बिल्स/13-14 दिनांक 24-02-2014 पर विचार किया गया। मेयर-इन-काउंसिल संकल्प क्रमांक 1009 दिनांक 20-02-2014 का अवलोकन किया गया।

2. विचारोपरान्त आयुक्त के पत्र के संलग्न संक्षेपिका में दर्शाई स्थिति एवं अनुशंसा के प्रकाश में सदर कार्य हेतु अनुमान पत्रक राशि रूपये 54,81,000/- की दिनांक 21-03-2014 को प्राप्त एक निविदा में निगोसिएशन हेतु गठित समिति की अनुशंसा अनुसार न्यूनतम निविदा दरदाता मेसर्स शुभम इन्टरप्राइजेस की निगोसिएटेट दर 23 प्रतिशत अधिक की राशि रूपये 12,60,630/-सहित कुल आकार राशि रूपये 67,41,630/- के कार्य कराने की प्रस्ताव अनुसार स्वीकृति दी जाती है। इसमें होने वाला संबंधित बजट मद में से होगा।

3. कार्य निर्धारित मानकस्तर एवं गुणवत्ता पूर्ण होने के प्रमाणीकरण के पश्चात ही भुगतान किया जावे।

आयुक्त, नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करे।

(ह)कृष्णमुरारी मोघे
महापौर/पदेन अध्यक्ष
मेयर इन कौंसिल
नगर पालिक निगम,इन्दौर
दिनांक 26.2.14

क्रमांक 2081-82

प्रतिलिपी:-

1. आयुक्त
2. रेसीडेन्ट आडिट
3. सूचना एवं प्रौद्योगिकी अधिकारी, न.पा.नि. इन्दौर
4. लोक सूचना अधिकारी, न.पा.नि. इन्दौर
की और जानकारी एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

सचिव
नगर पालिक निगम,इन्दौर

मेयर-इन कौंसिल संकल्प क्रमांक 1051 दिनांक 26-02-2014

झोन क्रमांक 12 वार्ड क्रमांक 65 के अन्तर्गत प्रकाश का बगीचा के कटकटपुरा कब्रस्तान के पीछे तथा मोमिनपुरा के पीछे आर.सी.सी. ओपन नाले का निर्माण करने के संबंध में आयुक्त का पत्र क्रमांक 250/सी.ई./बिल्स/13-14 दिनांक 24-02-2014 पर विचार किया गया। मेयर-इन-काउंसिल संकल्प क्रमांक 864 दिनांक 06-02-2014 का अवलोकन किया गया।

2. विचारोपरान्त आयुक्त के पत्र के संलग्न संक्षेपिका में दर्शाई स्थिति एवं अनुशंसा के प्रकाश में सदर कार्य हेतु अनुमान पत्रक राशि रूपये 54,03,500/- की दिनांक 21-02-2014 को प्राप्त दो निविदाओं में सदर प्रकरण में निगोसिएशन हेतु गठित समिति की अनुशंसा अनुसार न्यूनतम निविदा दरदाता मेसर्स राजेश अग्रवाल निगोसिएटेट दर 23 प्रतिशत अधिक की राशि रूपये 12,42,805/-सहित कुल आकार राशि रूपये 66,46,305/- के कार्य कराने की प्रस्ताव अनुसार स्वीकृति दी जाती है। इसमें होने वाला संबंधित बजट मद में से होगा।

3. कार्य निर्धारित मानकस्तर एवं गुणवत्ता पूर्ण होने के प्रमाणीकरण के पश्चात ही भुगतान किया जावे।

आयुक्त, नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करे।

(ह)कृष्णमुरारी मोघे
महापौर/पदेन अध्यक्ष
मेयर इन कौंसिल
नगर पालिक निगम,इन्दौर
दिनांक 26.2.14

क्रमांक 2083-84

प्रतिलिपी:-

1. आयुक्त
2. रेसीडेन्ट आडिटर
3. सूचना एवं प्रौद्योगिकी अधिकारी, न.पा.नि. इन्दौर
4. लोक सूचना अधिकारी, न.पा.नि. इन्दौर
की और जानकारी एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

सचिव
नगर पालिक निगम,इन्दौर

मेयर-इन कौंसिल संकल्प क्रमांक 1052 दिनांक 26-02-2014

जेएनएनयूआरएम अन्तर्गत कार्यरत मुख्य पीआईयू अधिकारी की समयावधि वृद्धि के संबंध में आयुक्त का पत्र क्रमांक 1424/जेएनएनयूआरएम/2014 दिनांक 20-02-2014 पर विचार किया गया। मेयर-इन-कौंसिल संकल्प क्रमांक 43 दिनांक 27-04-2013 का अवलोकन किया गया।

2. विचारोपरान्त आयुक्त के पत्र के संलग्न संक्षेपिका में दर्शाई स्थिति एवं अनुशंसा के प्रकाश में श्री चन्द्रशेखर तंवर, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट ऑफिसर एवं श्री प्रवीण कुमार गुप्ता, प्रोक्यूरमेन्ट ऑफिसर की अवधि वृद्धि दिसम्बर 2013 तक स्वीकृति प्राप्त है, योजनाओं के सुचारू क्रियान्वयन, निविदा प्रक्रिया, प्रोग्रेस रिपोर्ट्स, केन्द्र तथा राज्य शासन को समय-समय पर निर्धारित प्रारूपों में प्रेषित की जाने वाली जानकारी, योजना में पदस्थ तकनीकी अधिकारियों को दस्तावेजीकरण करने में सहायता आदि कार्यों के तकनीकी सहयोग हेतु विभागीय प्रस्ताव अनुसार श्री चन्द्रशेखर तंवर व श्री प्रवीण कुमार, प्रोक्यूरमेन्ट ऑफिसर की अवधि वृद्धि 31 जुलाई 2014 तक की जाने की स्वीकृति दी जाती है।

आयुक्त, नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करे।

(ह)कृष्णमुरारी मोघे
महापौर/पदेन अध्यक्ष
मेयर इन कौंसिल
नगर पालिक निगम,इन्दौर
दिनांक 26.2.14

क्रमांक 2085-86

प्रतिलिपी:-

1. आयुक्त
2. रेसीडेन्ट आडिट
3. सूचना एवं प्रौद्योगिकी अधिकारी, न.पा.नि. इन्दौर
4. लोक सूचना अधिकारी, न.पा.नि. इन्दौर
की और जानकारी एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

सचिव
नगर पालिक निगम,इन्दौर

मेयर-इन-कौंसिल संकल्प क्रमांक 1053 दिनांक 26.02.2014

झोन क्रमांक 05 वार्ड क्रमांक 34 में कार्यरत 05 अस्थाई मस्टर श्रमिकों की कार्यवृद्धि दिनांक 01-01-2014 से दिनांक 21-12-2014 तक के संबंध में आयुक्त का पत्र क्रमांक 3817 दिनांक 22-02-2014 पर प्रभारी जलकार्य समिति की राय पर विचार किया गया।

3. विचारोपान्त आयुक्त के पत्र के संलग्न संक्षेपिका में दर्शाई स्थित एवं अनुशंसा के प्रकाश में मेयर-इन-काउंसिल संकल्प क्रमांक 160 दिनांक 07-06-2013 के तारतम्य में दिनांक 31-12-2013 तक दी स्वीकृति समाप्त होने से तथा कार्य आवश्यकता एवं औचित्य के आधार पर पाँच मस्टर श्रमिक नियमानुसार ब्रेक देकर 29-29 दिवस के लिए जिलाधीश द्वारा निर्धारित पारिश्रमिक दर पर नितांत अस्थाई रूप से (कोई क्लेम मान्य नहीं होगा) दिनांक 01-01-2014 से दिनांक 31 जुलाई 2014 तक कार्य लिये जाने की स्वीकृति दी जाती है। इसमें होने वाला व्यय संबंधित बजट मद में से होगा।

3. विभागीय अधिकारी के कार्य प्रमाणीकरण के पश्चात ही भुगतान किया जावे।

आयुक्त नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करे।

(ह)कृष्णमुरारी मोघे
महापौर/पदेन अध्यक्ष
मेयर इन कौंसिल
नगर पालिक निगम,इन्दौर

क्रमांक 2087-88

दिनांक 26.2.14

प्रतिलिपी:-

1. आयुक्त, संलग्न-एक फाईल।
2. रेसीडेन्ट आडिट की और जानकारी एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

सचिव
नगर पालिक निगम,इन्दौर

मेयर-इन-कौंसिल संकल्प क्रमांक 1054 दिनांक 26.02.2014

सिरपुर तालाब की सुरक्षा हेतु कार्यरत 03 सुरक्षा गार्ड अस्थाई श्रमिकों की अवधि वृद्धि दिनांक 01-01-2014 श्से 29-29-दिवस हेतु 01 वर्ष के लिये बढ़ाने के संबंध में आयुक्त का पत्र क्रमांक 3853 दिनांक 25-02-2014 पर प्रभारी जलकार्य समिति की राय पर विचार किया गया।

3. विचारोपान्त आयुक्त के पत्र के संलग्न संक्षेपिका में दर्शाई स्थित एवं अनुशंसा के प्रकाश में मेयर-इन-काउंसिल संकल्प क्रमांक 156 दिनांक 07-06-2013 के तारतम्य में दिनांक 31-12-2013 तक दी स्वीकृति समाप्त होने से तथा कार्य आवश्यकता एवं औचित्य के आधार पर तीन मस्टर श्रमिक (सुरक्षा गार्ड) नियमानुसार ब्रेक देकर 29-29 दिवस के लिए जिलाधीश द्वारा निर्धारित पारिश्रमिक दर पर नितांत अस्थाई रूप से (कोई क्लेम मान्य नहीं होगा) दिनांक 01-01-2014 से दिनांक 31 जुलाई 2014 तक कार्य लिये जाने की स्वीकृति दी जाती है। इसमें होने वाला व्यय संबंधित बजट मद में से होगा।

3. विभागीय अधिकारी के कार्य प्रमाणीकरण के पश्चात ही भुगतान किया जावे।

आयुक्त नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करे।

(ह)कृष्णमुरारी मोघे
महापौर/पदेन अध्यक्ष
मेयर इन कौंसिल
नगर पालिक निगम,इन्दौर

क्रमांक 2089-90

दिनांक 26.2.14

प्रतिलिपी:-

1. आयुक्त, संलग्न-एक फाईल।
2. रेसीडेन्ट आडिट की और जानकारी एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

सचिव
नगर पालिक निगम,इन्दौर

मेयर-इन कौंसिल संकल्प क्रमांक 1055 दिनांक 26-02-2014

पुनर्विनियोग करने के संबंध में आयुक्त के पत्र क्रमांक 306 दिनांक 22-02-14 पर विचार किया गया।

2. विचारोपरान्त आयुक्त के पत्र के संलग्न संक्षेपिका में दर्शाई स्थिति एवं अनुशंसा के प्रकाश में वित्तीय वर्ष 2013-2014 के लिए जनसम्पर्क विभाग के अन्तर्गत के बजट प्रावधानों में राशि समाप्त होने से आवश्यक लंबित देयकों के भुगतान करने के लिए निम्नानुसार बजट मदों में राशि पुनर्विनियोग कर अन्तरित करने की स्वीकृति दी जाती है:-

(राशि लाख में)

मद क्रमांक /मद का नाम जिसमें से पुनर्विनियोग किया जाना है	प्रावधानित राशि लाख	बजट मद में से अंतरित की जाने वाली राशि लाख में	मद क्रमांक /मद का नाम जिसमें राशि पुनर्विनियोग किया जाना है	प्रावधानित राशि	बजट मद में अंतरित की जाने वाली राशि लाख में
2208010 आर्थिक सहायता अनुदान	50.00	30.00	2206001 प्रचार प्रसार विज्ञापन व्यय	125.00	50.00
2503010 सांस्कृतिक गतिविधियों हेतु सहायता/अनुदान	25.00	20.00	2206022 प्रकाशन व्यय/अन्य प्रकाशन व्यय	20.00	10.00
2503008 राज्य शासन द्वारा आयोजित अन्त्योदय मेले पर व्यय	30.00	25.00	2206002 निविदाएँ सूचनाएँ प्रकाशित करना	200.00	25.00
2502015 महापौर कुश्ती प्रतियोगिता पर व्यय	20.00	10.00			
	योग-	85.00		योग	85.00

आयुक्त नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करे।

(ह)कृष्णमुरारी मोघे
महापौर/पदेन अध्यक्ष
मेयर इन कौंसिल
नगर पालिक निगम,इन्दौर
दिनांक 26.2.14

क्रमांक 2091-92

प्रतिलिपी:-

1. आयुक्त, संलग्न-एक फाईल।
2. रेसीडेन्ट आडिटर की और जानकारी एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
3. सूचना एवं प्रौद्योगिकी अधिकारी की ओर वेबसाईट पर लोड करने हेतु।

सचिव
नगर पालिक निगम,इन्दौर

मेयर-इन-कौंसिल संकल्प क्रमांक 1056 दिनांक 20-02-2014

जेएनएनयूआरएम अन्तर्गत 4 मिशन शहरों के नगर निगम के अंश (स्वीकृत राशि का 30 प्रतिशत अंश) तथा वास्तविक लागत अनुसार बढी हुई राशि की व्यवस्था के संबंध में विचार किया गया। म.प्र शासन नगरीय प्रशासन विकास विभाग के पत्र क्रमांक एफ 10-52/2013/18-2 भोपाल दिनांक 01.08.2013 का अवलोकन किया गया।

2. विचारोपरान्त आयुक्त के पत्र के संलग्न संक्षेपिका में दर्शाई स्थिति व अनुशंसा के प्रकाश में जेएनएनयूआरएम अन्तर्गत 4 मिशन शहरों के नगर निगम के अंश (स्वीकृत राशि का 30 प्रतिशत अंश) तथा वास्तविक लागत अनुसार बढी हुई राशि रुपये 403.23 करोड़ की दिनांक 16-04-2013 की बैठक में परिषद द्वारा स्वीकृति प्रदान की जा चुकी है। इस संबंध में शासन द्वारा राशि रुपये 371.67 करोड़ की पत्र क्रमांक एक 10-52/2013/18-2 भोपाल दिनांक 01-08-2013 से तकनीकी एवं प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की गई है। हुडकों द्वारा अपने पत्र क्रमांक 2788/30-002/20348 हुडकों/भोपाल/12-13 दिनांक 29 नवम्बर 2013 से योजना के लिये रुपये 300.32 करोड़ का ऋण स्वीकृत किया गया है।

हुडकों के ऋण स्वीकृति पत्र में उल्लेखित शर्तों पर हुडकों से ऋण लेने की स्वीकृति (वित्तीय वर्ष 2013-14 के बजट में प्रदत्त स्वीकृति अनुसार) प्रदान की जाती है। हुडकों से ऋण लिये जाने की शासन स्वीकृति के क्रम में ऋण संबंधी समस्त कार्यवाही एवं दस्तावेजों के निष्पादन हेतु आयुक्त, नगर निगम को अधिकृत किया जाता है।

आयुक्त नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करे।

(ह)कृष्णमुरारी मोघे

महापौर/पदेन अध्यक्ष

मेयर इन कौंसिल

नगर पालिक निगम, इन्दौर

दिनांक 26.2.14

क्रमांक 2093-94

प्रतिलिपी:-

1. आयुक्त, संलग्न-एक फाईल।
2. रेसीडेन्ट आडिट
की और जानकारी एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
3. सूचना एवं प्रौद्योगिकी अधिकारीकी ओर वेबसाईट पर लोड करने हेतु।

सचिव

नगर पालिक निगम, इन्दौर

मेयर-इन-कौंसिल संकल्प क्रमांक 1057 दिनांक 26.02.2014

उद्यान विभाग के अन्तर्गत झोन क्र. 08 वार्ड क्र. 40 चिकित्सक नगर म.नं. 162 के सामने स्थित उद्यान की कम्पाउण्ड वाल एवं पाथ-वे का निर्माण करने के संबंध में आयुक्त का दिनांक 19/02/2014 पर विचार किया गया।

2. विचारोपरान्त आयुक्त के पत्र के संलग्न संक्षेपिका में दर्शाई स्थिति एवं अनुशंसा के प्रकाश में सदर कार्य हेतु अनुमान पत्रक राशि रूपये 11,86,000/- की दिनांक 08-08-2013 को प्राप्त एकल निविदा में निविदा समिति की अनुशंसा अनुसार न्यूनतम निविदादरदाता मेसर्स मोहिनी इन्टरप्राइजेस द्वारा प्रस्तुत न्यूनतम 1.90 प्रतिशत अधिक की राशि रूपये 22,534/- सहित कुल आकार राशि रूपये 12,08,534/- के कार्य की प्रस्ताव अनुसार वित्तीय, तथा निविदा दर की स्वीकृति दी जाती है। इसमें होने वाला व्यय संबंधित बजट मद में से होगा।

3. किये जाने वाला कार्य मानक स्तर एवं गुणवत्ता पूर्ण होने के प्रमाणीकरण के पश्चात ही भुगतान किया जावे।

आयुक्त नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करें।

(ह.) कृष्णमुरारी मोघे
महापौर/पदेन अध्यक्ष
मेयर-इन-कौंसिल
नगर पालिक निगम, इन्दौर

क्रमांक 2095-96

दिनांक 26.2.14

प्रतिलिपि:-

1. आयुक्त, संलग्न एक फाईल।
2. रेसीडेन्सी ऑडिट
की ओर जानकारी एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
3. सूचना एवं प्रौद्योगिकी अधिकारी की ओर वेबसाईट पर लोड करने हेतु।

सचिव
नगर पालिक निगम, इन्दौर

मेयर-इन-कौंसिल संकल्प क्रमांक 1058 दिनांक 26-02-2014

विभिन्न वार्डों के पार्षदों द्वारा प्रभारी, स्वास्थ्य समिति से सफाई व्यवस्था सुचारु रूप से सम्पन्न करने हेतु अतिरिक्त सफाई कर्मी लगाने की मांग की जाने के क्रम में प्रभारी स्वास्थ्य एवं चिकित्सा समिति के पत्र क्रमांक 81 दिनांक 06-02-2014 पर विचार किया गया। चर्चा की गई।

2. विचारोपान्त चर्चा के प्रकाश में विभिन्न वार्डों के पार्षदों द्वारा प्रभारी, स्वास्थ्य समिति से सफाई व्यवस्था सुचारु रूप से सम्पन्न करने हेतु अतिरिक्त सफाई कर्मी लगाने की मांग की जाने एवं प्रभारी स्वास्थ्य एवं चिकित्सा समिति के पत्र क्रमांक 81 दिनांक 06-02-2014 के परिप्रेक्ष्य में निम्नानुसार झोन / वार्डों में कुल 140 सफाई मस्टर दैनिक वेतन भोगी कर्मियों से कार्य आवश्यकता एवं औचित्य के आधार पर नियमानुसार ब्रेक देकर 29-29 दिवस के लिए जिलाधीश द्वारा निर्धारित पारिश्रमिक दर पर नितान्त अस्थाई रूप से (कोई क्लेम मान्य नहीं होगा) दिनांक 01-03-2014 से दिनांक 31 जुलाई 2014 तक कार्य लिये जाने की स्वीकृति दी जाती है। इसमें होने वाला व्यय संबंधित बजट मद में से होगा।

अनुक्रमांक	झोन क्रमांक	स्वीकृत सफाई मस्टर कर्मचारियों की संख्या	अनुक्रमांक	झोन क्रमांक	स्वीकृत सफाई मस्टर कर्मचारियों की संख्या
1	02	10	8	10	05
2	04	10	9	11	10
3	05	25	10	12	05
4	06	15	11	13	10
5	07	15	12	14	05
6	08	20	13	15	05
7	09	05	कुल संख्या		140

3. विभागीय अधिकारी के कार्य प्रमाणीकरण के पश्चात ही भुगतान किया जावे।
आयुक्त नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करे।

कृष्णमुरारी मोघे
महापौर/पदेन अध्यक्ष
मेयर इन कौंसिल
नगर पालिक निगम, इन्दौर
दिनांक 26.2.14

क्रमांक 2097-98

प्रतिलिपी:-

1. आयुक्त, संलग्न-एक फाईल।
2. रेसीडेन्ट आडिट की और जानकारी एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
3. सूचना एवं प्रौद्योगिकी अधिकारीकी ओर वेबसाईट पर लोड करने हेतु।

सचिव
नगर पालिक निगम, इन्दौर

मेयर-इन कौंसिल संकल्प क्रमांक 1059 दिनांक 26-02-2014

झोन क्रमांक 12 वार्ड क्रमांक 64 जबरन कालोनी तीरथबाई कलाचन्द्र स्कूल के पीछे से जबरन कालोनी होते आलापुरा तक आर.सी.सी. ओपन नाले का निर्माण करने के संबंध में आयुक्त का पत्र क्रमांक 249/सी.ई./बिल्स/13-14 दिनांक 24-02-2014 पर विचार किया गया। मेयर-इन-काउंसिल संकल्प क्रमांक 1009 दिनांक 20-02-2014 का अवलोकन किया गया।

2. विचारोपरान्त आयुक्त के पत्र के संलग्न संक्षेपिका में दर्शाई स्थिति एवं अनुशंसा के प्रकाश में सदर कार्य हेतु अनुमान पत्रक राशि रुपये 54,81,000/- की दिनांक 21-03-2014 को प्राप्त एक निविदा में निगोसिएशन हेतु गठित समिति की अनुशंसा अनुसार न्यूनतम निविदा दरदाता मेसर्स शुभम इन्टरप्राईजेस की निगोसिएटेट दर 23 प्रतिशत अधिक की राशि रुपये 12,60,630/-सहित कुल आकार राशि रुपये 67,41,630/- के कार्य कराने की प्रस्ताव अनुसार स्वीकृति दी जाती है। इसमें होने वाला संबंधित बजट मद में से होगा।

3. कार्य निर्धारित मानकस्तर एवं गुणवत्ता पूर्ण होने के प्रमाणीकरण के पश्चात ही भुगतान किया जावे।

आयुक्त, नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करे।

(ह)कृष्णामुरारी मोघे
महापौर/पदेन अध्यक्ष
मेयर इन कौंसिल
नगर पालिक निगम,इन्दौर
दिनांक 26.2.14

क्रमांक 2099-2100

प्रतिलिपी:-

1. आयुक्त
 2. रेसीडेन्ट आडिट
 3. सूचना एवं प्रौद्योगिकी अधिकारी, न.पा.नि. इन्दौर
 4. लोक सूचना अधिकारी, न.पा.नि. इन्दौर
- की और जानकारी एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

सचिव
नगर पालिक निगम,इन्दौर

मेयर-इन-कौंसिल संकल्प क्रमांक 1060 दिनांक 26.02.2014

सेफ सिटी इनिसिएटिव कार्यक्रम अन्तर्गत कम्युनिटी सपोर्ट एजेंसी की नियुक्ति के संबंध में आयुक्त का पत्र क्रमांक 511/ए/डीएफआयडी/13-14 दिनांक 20-02-2014 पर प्रभारी राजस्व समिति की /डीएफआयडी की राय पर विचार किया गया। मेयर-इन-काउंसिल संकल्प क्रमांक 886 दिनांक 06-02-2014 का अवलोकन किया गया।

2. विचारोपरान्त आयुक्त के पत्र के संलग्न संक्षेपिका में दर्शाई स्थिति व अनुशंसा एवं एम. आय.सी. द्वारा गठित समिति की रिपोर्ट व अभिमत के प्रकाश में सेफ सिटी इनिसिएटिव कार्यक्रम अन्तर्गत विकास संबंधित गतिविधियों के कार्यों हेतु कम्युनिटी सपोर्ट एजेंसी की नियुक्ति के लिये न्यूनतम निविदा दरदाता भारतीय ग्रामीण महिला संघ तथा पहल जन सहयोग संस्था इन्दौर की दर समय सीमा 22 माह के कार्य हेतु राशि रूपये 1,32,99,565 /-(+ सर्विस टेक्स) पर (शासन द्वारा अनुमानित लागत से लगभग 15 प्रतिशत कम दर) कम्युनिटी सपोर्ट एजेंसी की नियुक्ति करने की स्वीकृति दी जाती है।

आयुक्त नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करे।

(ह)कृष्णमुरारी मोघे
महापौर/पदेन अध्यक्ष
मेयर इन कौंसिल
नगर पालिक निगम,इन्दौर

क्रमांक

दिनांक

प्रतिलिपी:-

1. आयुक्त, संलग्न-एक फाईल।
2. रेसीडेन्ट आडिट की और जानकारी एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

सचिव
नगर पालिक निगम,इन्दौर

इतवारिया बाजार हुकुमचन्द्र मार्ग पर भवन अनुज्ञा दिये जाने के संबंध में आयुक्त का पत्र क्रमांक 3060 /एम/सी/2013 दिनांक 29-01-2013 एवं पत्र क्रमांक 719 दिनांक 08-01-2014 पर प्रभारी आवास पर्यावरण एवं लोक निर्माण समिति की राय क्रमांक 231 दिनांक 08-02-2013 एवं राय क्रमांक 405 दिनांक 21-01-2014 पर विचार किया गया। मान. उच्च न्यायालय द्वारा याचिका क्रमांक 37-ए/13 द्वारा पारित आदेश का अवलोकन किया गया।

2. आयुक्त के पत्रों के साथ संलग्न संक्षेपिका में उल्लेखित अनुसार निगम प्रस्ताव क्रमांक 106 दिनांक 15-07-2009 द्वारा कांच मंदिर इतवारिया बाजार रोड को धरोहर मार्ग घोषित किया गया है इस मार्ग पर स्थित कांच मंदिर, शीश महल, रंग महल आदि नगर की पहचान होने से शापिंग मॉल, बहुमंजिला इमारते, व्यवसायिक इमारते आदि नवीन निर्माण पर रोक लगाई गयी है। कार्यालय उपसंचालक पुरातत्व अभिलेख गार एवं संग्रहालय पश्चिमी क्षेत्र राजबाड़ा इन्दौर के पत्र क्रमांक 127 दिनांक 27-02-2012 अनुसार हुकुमचन्द्र मार्ग को धरोहर मार्ग घोषित करने के संबंध में आज दिनांक तक म.प्र. शासन को कोई प्रस्ताव नहीं भेजा गया ना ही किसी प्रकार के उक्त संबंध में आदेश/निर्देश प्राप्त हुए है। नगर निगम के पास किसी ऐतिहासिक स्ट्रक्चर या मार्ग रोड को पुरातात्विक महत्व घोषित करने के अधिकार नहीं है सिर्फ पुरातत्व विभाग ही ऐसी घोषणा नोटिफिकेशन के माध्यम से कर सकता है।

3. विचारोपान्त आयुक्त के पत्र के संलग्न संक्षेपिका में दर्शाई स्थिति एवं अनुशंसा के प्रकाश में प्रकरण में मान. उच्च न्यायालय द्वारा याचिका क्रमांक 37-ए/13 में पारित आदेश एवं उपरोक्त वस्तुस्थिति के साथ निगम परिषद प्रस्ताव क्रमांक 106 दिनांक 15-07-2009 पर पुर्नविचार हेतु प्रकरण निगम परिषद के समक्ष रखा जावे।

(ह.) कृष्णमुरारी मोघे
महापौर/पदेन अध्यक्ष
मेयर इन कौंसिल
नगर पालिक निगम, इन्दौर
दिनांक 26.2.14

क्रमांक 2103-04

प्रतिलिपी:-

1. आयुक्त, संलग्न-एक फाईल।
2. रेसीडेन्ट आडिट
की और जानकारी एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
3. सूचना एवं प्रौद्योगिकी अधिकारी की ओर वेबसाईट पर लोड करने हेतु।

सचिव
नगर पालिक निगम, इन्दौर

मेयर-इन-कौंसिल संकल्प क्रमांक 1062 दिनांक 26-02-2014

नगर सौंदर्यीकरण उद्यान में कार्यालयीन कार्य एवं सिरपुर, बिलावली, डिवाईडर तथा ग्रीन बेल्ट पौधारोपण क्षेत्र में कार्य करने हेतु रखे गये श्रमिकों की अवधि वृद्धि करने के संबंध में आयुक्त का पत्र क्रमांक 380/न.सौ.उ./13-14 इन्दौर, दिनांक 24-01-2014 पर विचार किया गया।

2. विचारोपान्त आयुक्त के पत्र के संलग्न संक्षेपिका में दर्शाई एवं अनुशंसा के प्रकाश में सदर कार्यो हेतु 117 मस्टर श्रमिक दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों की निम्नांकित मेयर-इन-काउंसिलों के तारतम्य में अवधि वृद्धि दिनांक 31-12-2013 को समाप्त होने से मस्टर श्रमिकों की कार्य आवश्यकता एवं औचित्य के आधार पर नियमानुसार ब्रेक देकर 29-29 दिवस के लिए जिलाधीश द्वारा निर्धारित पारिश्रमिक दर पर नितांत अस्थाई रूप से (कोई क्लेम मान्य नहीं होगा) दिनांक 01-01-2014 से दिनांक 31 जुलाई 2014 तक कार्य लिये जाने की स्वीकृति दी जाती है। इसमें होने वाला व्यय संबंधित बजट मद में से होगा।

अ.क्र.	संकल्प क्रमांक दिनांक	कुल श्रमिक
1	153 / 07.06.13	01
2	161 / 07.06.13	10
3	220 / 07.06.13	02
4	335 / 07.08.13	02
5	373 / 07.08.13	52
6	374 / 07.08.13	50
		117

3. विभागीय अधिकारी के कार्य प्रमाणीकरण के पश्चात ही भुगतान किया जावे।

आयुक्त नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करे।

(ह)कृष्णमुरारी मोघे
महापौर/पदेन अध्यक्ष
मेयर इन कौंसिल
नगर पालिक निगम,इन्दौर
दिनांक 26.2.14

क्रमांक 2105-06

प्रतिलिपी:-

1. आयुक्त, संलग्न-एक फाईल।
2. रेसीडेन्ट आडिट
की और जानकारी एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
3. सूचना एवं प्रौद्योगिकी अधिकारीकी ओर वेबसाईट पर लोड करने हेतु।

सचिव
नगर पालिक निगम,इन्दौर

रुकमणी सहकारी साख संस्था में निगम कर्मचारियों को सदस्य बनाने के संबंध में रुकमणी देवी सहकारी साख संस्था मर्यादित , 3 गणेश नगर खण्डवा रोड इन्दौर के पत्र दिनांक 19-12-2013 पर महापौरजी की टीप दिनांक 20-12-13 पर विचार पर विचार किया गया। चर्चा की गई।

2. विचारोपान्त चर्चा के प्रकाश में रुकमणी सहकारी साख संस्था में निगम कर्मचारियों को सदस्य बनाने के संबंध में रुकमणी देवी सहकारी साख संस्था मर्यादित , 3 गणेश नगर खण्डवा रोड इन्दौर द्वारा निगम कर्मचारियों को संस्था का सदस्य बनाने एवं सदस्यों को ऋण देने के साथ ही परिवार कल्याण योजना, बीमा योजना आदि के लाभ देने के प्रस्ताव प्रस्तुत किया है कर्मचारियों के हित को दृष्टिगत रखते हुए उक्त प्रस्ताव पर सैद्धांतिक सहमति दी जाती है। इस संबंध में प्रकरण परीक्षण कर वैधानिक स्थित के साथ नियमानुसार स्थापना/लेखा शाखा प्रस्ताव अभिमत सहित आयुक्त के माध्यम से प्रस्तुत करे।

आयुक्त नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करे।

(ह)कृष्णमुरारी मोघे
महापौर/पदेन अध्यक्ष
मेयर इन कौंसिल
नगर पालिक निगम,इन्दौर
दिनांक 26.2.14

क्रमांक 2107-08

प्रतिलिपी:-

1. आयुक्त, संलग्न-एक फाईल।
2. रेसीडेन्ट आडिटर
की और जानकारी एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।
3. सूचना एवं प्रौद्योगिकी अधिकारीकी ओर वेबसाईट पर लोड करने हेतु।

सचिव
नगर पालिक निगम,इन्दौर

झोन क्रमांक 04 महाराणा प्रताप झोन की नवीन स्थापना होने से कार्यरत 10 (मस्टर) श्रमिकों को अवधि वृद्धि के संबंध में विचार किया गया।

2. विचारोपरान्त झोन क्रमांक 04 महाराणा प्रताप झोन की नवीन स्थापना होने से फील्ड कार्य हेतु पर्याप्त बेलदार नहीं होने से जनकार्य, कंट्रोल रूम व्यवस्था एवं अधिकांश झोनल क्षेत्र गरीब बस्तियों में नीचले क्षेत्र में निस्तार के पानी की निकासी आदि प्रबंधन के कार्य हेतु मेयर-इन-काउंसिल संकल्प क्रमांक 154 दिनांक 7-6-2013 के तारतम्य में कार्यरत 10 मस्टर श्रमिकों की अवधि वृद्धि दिनांक 31-12-2013 को समाप्त होने से कार्य आवश्यकता एवं औचित्य के आधार पर 29-29 दिवस की स्वीकृति पर नियमानुसार ब्रेक देकर जिलाधीश द्वारा निर्धारित पारिश्रमिक दर पर नितान्त अस्थायी रूप से (कोई क्लेम मान्य नहीं होगा) दिनांक 01 जनवरी 2014 से दिनांक जुलाई 2014 तक कार्य लेने की स्वीकृति की जाती है।

3. विभागीय अधिकारी के कार्य प्रमाणीकरण के पश्चात ही भुगतान किया जावे।

आयुक्त नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करे।

(ह.) कृष्णमुरारी मोघे
महापौर/पदेन अध्यक्ष
मेयर इन कौंसिल
नगर पालिक निगम, इन्दौर
दिनांक. 26.2.14

क्रमांक 2109-10

प्रतिलिपी:-

1. आयुक्त, संलग्न एक फाईल।
2. रेसीडेन्ट आडिटर
3. सूचना एवं प्रौद्योगिकी अधिकारी, न.पा.नि. इन्दौर
4. लोक सूचना अधिकारी, न.पा.नि. इन्दौर
की और जानकारी एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

सचिव
नगर पालिक निगम, इन्दौर

मेयर-इन-कौंसिल संकल्प क्रमांक 1065 दिनांक 26-02-2014

लिम्बोदी तालाब पर वृक्षारोपण सुरक्षा एवं अन्य कार्य की देखरेख हेतु 05 मस्टर श्रमिकों की स्वीकृति के संबंध में पत्र क्रमांक 3611 दिनांक 04-02-2014 पर प्रभारी खाद्य नागरिक आपूर्ति तथा उद्यान विभाग की राय क्रमांक 57 दिनांक 25-02-2014 पर विचार किया गया।

2. विचारोपान्त आयुक्त के पत्र के संलग्न संक्षेपिका में दर्शाई स्थिति एवं अनुशंसा के प्रकाश में मेयर-इन-काउंसिल संकल्प क्रमांक 165 दिनांक 7-6-2013 के तारतम्य में अवधि वृद्धि दिनांक 31-12-2013 को समाप्त होने से मस्टर श्रमिकों की कार्य आवश्यकता एवं औचित्य के आधार पर नियमानुसार ब्रेक देकर 29-29 दिवस के लिए जिलाधीश द्वारा निर्धारित पारिश्रमिक दर पर नितांत अस्थाई रूप से (कोई क्लेम मान्य नहीं होगा) दिनांक 01-01-2014 से दिनांक 31 जुलाई 2014 तक कार्य लिये जाने की स्वीकृति दी जाती है। इसमें होने वाला व्यय संबंधित बजट मद में से होगा।

3. विभागीय अधिकारी के कार्य प्रमाणीकरण के पश्चात ही भुगतान किया जावे।

आयुक्त नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करे।

(ह.)कृष्णमुरारी मोघे
महापौर/पदेन अध्यक्ष
मेयर इन कौंसिल
नगर पालिक निगम,इन्दौर
दिनांक 26.2.14

क्रमांक 2111-12

प्रतिलिपी:-

1. आयुक्त, संलग्न-एक फाईल।
2. रेसीडेन्ट आडिट
की और जानकारी एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
3. सूचना एवं प्रौद्योगिकी अधिकारीकी ओर वेबसाईट पर लोड करने हेतु।

सचिव
नगर पालिक निगम,इन्दौर

बिलावली तालाब पर वृक्षारोपण सुरक्षा एवं अन्य कार्य की देखरेख हेतु 15 मस्टर श्रमिकों की स्वीकृति के संबंध में पत्र क्रमांक 3528 दिनांक 30-01-2014 पर विचार किया गया।

2. विचारोपान्त आयुक्त के पत्र के संलग्न संक्षेपिका में दर्शाई स्थिति एवं अनुशंसा के प्रकाश में मेयर-इन-काउंसिल संकल्प क्रमांक 164 दिनांक 7-6-2013 के तारतम्य में अवधि वृद्धि दिनांक 31-12-2013 को समाप्त होने से 15 मस्टर श्रमिकों की कार्य आवश्यकता एवं औचित्य के आधार पर नियमानुसार ब्रेक देकर 29-29 दिवस के लिए जिलाधीश द्वारा निर्धारित पारिश्रमिक दर पर नितांत अस्थाई रूप से (कोई क्लेम मान्य नहीं होगा) दिनांक 01-01-2014 से दिनांक 31 जुलाई 2014 तक कार्य लिये जाने की स्वीकृति दी जाती है। इसमें होने वाला व्यय संबंधित बजट मद में से होगा।

3. विभागीय अधिकारी के कार्य प्रमाणीकरण के पश्चात ही भुगतान किया जावे।

आयुक्त नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करे।

(ह.)कृष्णमुरारी मोघे
महापौर/पदेन अध्यक्ष
मेयर इन कौंसिल
नगर पालिक निगम,इन्दौर
दिनांक

क्रमांक 2113-14

प्रतिलिपी:-

1. आयुक्त, संलग्न-एक फाईल।
2. रेसीडेन्ट आडिटर की और जानकारी एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
3. सूचना एवं प्रौद्योगिकी अधिकारीकी ओर वेबसाईट पर लोड करने हेतु।

सचिव
नगर पालिक निगम,इन्दौर

मेयर-इन-कौंसिल संकल्प क्रमांक 1067 दिनांक 26-02-2014

उद्यान विभाग के अन्तर्गत झोन क्रमांक 05 वार्ड क्रमांक 34 प्राईम सिटी म.नं. 65 के सामने स्थित उद्यान की कम्पाउण्ड वाल एवं पाथ-वे का निर्माण करने के संबंध में आयुक्त का पत्र क्रमांक सीई/उद्यान/1328 दिनांक 19-02-2014 पर प्रभारी खाद्य नागरिक एवं आपूर्ति विभाग की राय क्रमांक 56 दिनांक 23-02-2014 पर विचार पर विचार किया गया।

2. विचारोपरान्त आयुक्त के पत्र के संलग्न संक्षेपिका में दर्शाई स्थिति एवं अनुशंसा के प्रकाश में सदर कार्य हेतु अनुमान पत्रक राशि रूपये 25,00,000/- की दिनांक 12-09-2013 को प्राप्त एकल निविदा में निविदा समिति की अनुशंसा अनुसार न्यूनतम निविदादरदाता मेसर्स श्रृष्टि कंस्ट्रक्शन द्वारा प्रस्तुत न्यूनतम 3.5 प्रतिशत अधिक पर की राशि रूपये 87,500/- जोड़कर कुल आकार राशि रूपये 25,87,500/-के कार्य की प्रस्ताव अनुसार वित्तीय, स्वीकृति दी जाती है। इसमें होने वाला व्यय संबंधिज बजट मद में से होगा।

3. किये जाने वाला कार्य मानक स्तर एवं गुणवत्ता पूर्ण होने के प्रमाणीकरण के पश्चात ही भुगतान किया जावे।

आयुक्त नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करे।

(ह.)कृष्णमुरारी मोघे
महापौर/पदेन अध्यक्ष
मेयर इन कौंसिल
नगर पालिक निगम,इन्दौर

क्रमांक 2115-16

दिनांक 26.2.14

प्रतिलिपी:-

1. आयुक्त, संलग्न-एक फाईल।
2. रेसीडेन्ट आडिट
की और जानकारी एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
3. सूचना एवं प्रौद्योगिकी अधिकारीकी ओर वेबसाईट पर लोड करने हेतु।

सचिव
नगर पालिक निगम,इन्दौर

मेयर-इन-कौंसिल संकल्प क्रमांक 1068 दिनांक 26-02-2014

म.प्र. राज्य आयोग सफाई कर्मचारी आयोग म.प्र. शासन भोपाल के कार्य संचालन हेतु 02 कमरे का आफिस आवंटित करने के संबंध में आयुक्त के पत्र क्रमांक 1399 दिनांक 03.10.13 सदस्य म.प्र.राज्य सफाई कर्मचारी आयोग का पत्र क्र.698 दिनांक 27.1.14 पर प्रभारी राजस्व समिति की राय पर विचार किया गया।

2. आयुक्त के पत्र में उल्लेख अनुसार में म.प्र. राज्य सफाई कर्मचारी आयोग,म.प्र. शासन के आयोग के सदस्यों श्री जटाशंकर करोसिया को आयोग के कार्य संचालन हेतु 02 कमरे का आफिस आवंटित किया जाना है। उक्त क्रम में आयोग के सदस्य श्री करोसिया के पत्र क्र.698 दिनांक 27.1.14 अनुसार म.प्र. राज्य शासन द्वारा म.प्र. राज्य सफाई कर्मचारी आयोग का ज्य सफाई कर्मचारी आयोग का गठन कर इन्हे सदस्य नियुक्त किया गया। इनके द्वारा प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन ,नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग से आयोग के कार्य का संचालन हेतु स्थान की चर्चा करने पर उनके द्वारा बताया गया कि ,स्थान का आवंटन नगर निगम,इंदौर द्वारा किया जावेगा। इस संबंध में आयुक्त को दूरभाष पर निर्देश भी दिये गये है तथा आयोग के अन्य सदस्यों को भी संबंधित नगर निगम द्वारा स्थान आवंटित किये गये है,इनके द्वारा सफाई कर्मचारी आयोग के कार्य संचालन हेतु एम.टी.एच. पालिका प्लाजा तल मंजिल पुराना लायसेन्स विभाग जो वर्तमान में खाली पडा है अस्थायी रूप से आवंटन करने हेतु लिखा है।

3. विचारोपरांत आयुक्त के पत्र के संलग्न संक्षेपिका एव. म.प्र. राज्य कर्मचारी आयोग के सदस्य के पत्र के में दर्शाई स्थिति के प्रकाश में म.प्र. राज्य सफाई कर्मचारी आयोग,म.प्र. भोपाल,के कार्य संचालन हेतु एम.टी.एच. पालिका प्लाजा तल मंजिल में रिक्त कार्यालय नितांत अस्थायी तौर पर सचिव म.प्र. राज्य सफाई कर्मचारी आयोग को नियमानुसार आवंटित करने की स्वीकृति शासन स्वीकृति की प्रत्याशा में दी जाती है। शासन से पुष्टि प्राप्त करें। आवंटित स्थान का मालिकाना हक निगम का रहेगा तथा निगम को स्थान की आवश्यकता होने अथवा आयोग सदस्य का कार्यकाल समाप्त होने (जो भी पूर्व हो) पर स्थान रिक्त कर उपलब्ध कराना होगा।सचिव म.प्र. राज्य सफाई कर्मचारी आयोग को आयोग के कार्य संचालन हेतु स्थान आवंटित करने के लिये पत्र लिखा जावे।

आयुक्त नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करे।

(ह.)कृष्णमुरारी मोघे
महापौर/पदेन अध्यक्ष
मेयर इन कौंसिल
नगर पालिक निगम,इन्दौर

क्रमांक 2117-18

दिनांक 26.2.14

प्रतिलिपी:-

1. आयुक्त, संलग्न-एक फाईल।
2. रेसीडेन्ट आडिट
की और जानकारी एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
3. सूचना एवं प्रौद्योगिकी अधिकारीकी ओर वेबसाईट पर लोड करने हेतु।

सचिव
नगर पालिक निगम, इन्दौर

मेयर-इन-कौंसिल संकल्प क्रमांक 1069 दिनांक 26-02-2014

निगम स्वामित्व के पार्किंग स्टेण्डों हेतु आमंत्रित निविदा दिनांक 18.02.14 को प्राप्त आफ़रों के संबंध में आयुक्त के पत्र क्रमांक 2433 दिनांक 26.2.14 विचार किया विचार किया गया।

2. विचारोपरान्त सदर प्रकरण में प्रभारी बाजार समिति की अध्यक्षता में अपर आयुक्त (राजस्व) श्रीमती लता अग्रवाल, उपायुक्त एवं श्री एम.पी.एस.अरोरा, उपायुक्त, की समिति का गठन किया जाता है। श्री एम.पी.एस.अरोरा, मार्केट समिति के सदस्य सचिव होंगे। उक्त समिति प्राप्त आफ़र दरों का विश्लेषण कर निविदा दर स्वीकृति के संबंध में स्पष्ट अभिमत आयुक्त के माध्यम से प्रस्तुत करें।

आयुक्त नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करे।

(ह.) कृष्णमुरारी मोघे

महापौर/पदेन अध्यक्ष

मेयर इन कौंसिल

नगर पालिक निगम, इन्दौर

क्रमांक 2119-20

दिनांक 26.2.14

प्रतिलिपी:-

1. आयुक्त, संलग्न-एक फाईल।
2. रेसीडेन्ट आडिट
की और जानकारी एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
3. सूचना एवं प्रौद्योगिकी अधिकारीकी ओर वेबसाईट पर लोड करने हेतु।

सचिव

नगर पालिक निगम, इन्दौर

मेयर-इन-कौंसिल संकल्प क्रमांक 1070 दिनांक 26-02-2014

जलकर बिल/राशि माफ करने के संबंध में आयुक्त का पत्र क्रमांक 1311 दिनांक 06-01-2014 एवं पत्र क्रमांक 1386 दिनांक 24-01-2014 पर जलकार्य प्रभारी की राय क्रमशः क्रमांक 158 दिनांक 08-01-14 एवं 182 दिनांक 27-01-14 पर विचार किया गया। चर्चा की गई।

2. विचारोपरान्त आयुक्त के पत्र के संलग्न संक्षेपिका में दर्शाई स्थिति एवं अनुशंसा व चर्चा के प्रकाश में वित्तीय वर्ष 2013-14 के बजट में प्रदत्त स्वीकृति अनुसार जनहित में नागरिकों/रहवासियों द्वारा सामुहिक रूप से पानी न मिलने का आवेदन शपथ-पत्र के साथ देने पर स्थल निरीक्षण कर रिपोर्ट देने हेतु कार्यपालन यंत्री नर्मदा एवं स्थल निरीक्षण की रिपोर्ट उपरान्त नियमानुसार राशि फ्रीज करने की कार्यवाही हेतु उपायुक्त जलकर को अधिकृत किया जाता है।

3. जलकर बिल/राशि माफ करने के आवेदन प्राप्त होने के दिनांक से 10 दिवस की अवधि में कार्यपालन यंत्री, नर्मदा द्वारा स्थल निरीक्षण कर रिपोर्ट देने एवं रिपोर्ट प्राप्ति दिनांक से 10 दिवस की अवधि में नियमानुसार राशि फ्रीज करने की कार्यवाही उपायुक्त, जलकर द्वारा किया जाना सुनिश्चित किया जावे।

4. उपरोक्तानुसार मयूर नगर, मुसाखेडी, एवं दुबे का बगीचा गली नं. 01 के रहवासियों के जलकर राशि माफ करने के संबंध में प्राप्त आवेदन पर भी नियमानुसार कार्यवाही की जावे।

आयुक्त नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करे।

(ह.) कृष्णमुरारी मोघे
महापौर/पदेन अध्यक्ष
मेयर इन कौंसिल
नगर पालिक निगम, इन्दौर
दिनांक 26.2.14

क्रमांक 2121-22

प्रतिलिपी:-

1. आयुक्त, संलग्न-एक फाईल।
2. रेसीडेन्ट आडिट
की और जानकारी एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
3. सूचना एवं प्रौद्योगिकी अधिकारीकी ओर वेबसाईट पर लोड करने हेतु।

सचिव
नगर पालिक निगम, इन्दौर

मेयर-इन-कौंसिल संकल्प क्रमांक 1071 दिनांक 26-02-2014

श्री गणेशोत्सव समारोह हेतु निगम अतिरिक्त अनुदान स्वीकृति के संबंध में आयुक्त का पत्र क्रमांक 978 दिनांक 19-02-2014 पर विचार किया गया। मेयर-इन-काउंसिल संकल्प क्रमांक 473 दिनांक 07.08.2013

2. विचारोपरान्त आयुक्त के पत्र के संलग्न संक्षेपिका में दर्शाई स्थिति एवं अनुशंसा के प्रकाश में वर्ष 2013-14 के लिए श्री गणेशोत्सव समारोह के दौरान सांस्कृतिक कार्यक्रम एवं झोंकियों के निर्माण व चल समारोह अन्य व्यवस्थाओं हेतु राशि रूपये 3,93,558/- (तीन लाख, तिरयानवे हजार, पांच सौ अठ्ठावन मात्र) का अतिरिक्त अनुदान देने की कार्योत्तर स्वीकृति निगम परिषद स्वीकृति की प्रत्याशा में दी जाती है। इसमें होने वाला व्यय बजट मद "मेयर इन काउंसिल के अधिकार में आकस्मिक व्यय" में से होगा।

पुष्टि हेतु प्रकरण निगम परिषद के समक्ष रखा जावे।
आयुक्त नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करे।

[ह.] कृष्णमुरारी मोघे
महापौर/पदेन अध्यक्ष
मेयर इन कौंसिल
नगर पालिक निगम, इन्दौर
दिनांक 26.2.14

क्रमांक 2123-24

प्रतिलिपी:-

1. आयुक्त, संलग्न-एक फाईल।
2. रेसीडेन्ट आडिटर
की और जानकारी एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
3. सूचना एवं प्रौद्योगिकी अधिकारीकी ओर वेबसाईट पर लोड करने हेतु।

सचिव
नगर पालिक निगम, इन्दौर

मेयर-इन-कौंसिल संकल्प क्रमांक 1072 दिनांक 26-02-2014

उद्यान विभाग के अन्तर्गत विभिन्न वार्डों में स्थित उद्यानों में विभिन्न प्रकार के कार्य करवाये जाने हेतु अल्पकालीन निविदा आमंत्रण की पुष्टि करने के संबंध में आयुक्त की टीप (नोटशीट पृ.क्र.3 पर) दिनांक 18.2.2014 पर विचार किया गया।

2. विचारोपरान्त चर्चा के प्रकाश में आयुक्त की टीप दिनांक 18.02.14 अनुसार उद्यान विभाग में विभिन्न वार्डों के उद्यानों में विकास कार्य हेतु आमंत्रित अल्पकालीन निविदा की स्वीकृति/पुष्टि की जाती है।

आयुक्त नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करे।

(ह.)कृष्णमुरारी मोघे
महापौर/पदेन अध्यक्ष
मेयर इन कौंसिल
नगर पालिक निगम,इन्दौर

क्रमांक 2125-26

दिनांक 26.2.14

प्रतिलिपी:-

1. आयुक्त, संलग्न-एक फाईल।
2. रेसीडेन्ट आडिट
की और जानकारी एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।
3. सूचना एवं प्रौद्योगिकी अधिकारीकी ओर वेबसाईट पर लोड करने हेतु।

सचिव
नगर पालिक निगम,इन्दौर

मेयर-इन-कौंसिल संकल्प क्रमांक 1073 दिनांक 26-02-2014

उद्यान विभाग के अन्नपूर्णा मार्ग स्थित तालाब के पास सार्वजनिक उद्यान की कम्पाउण्ड वाल एवं पाथ वे का निर्माण करने के संबंध में आयुक्त का पत्र क्र. एस.ई./उद्यान 1284 दिनांक 17.02.14 पर प्रभारी खाद्य एवं उद्यान समिति की राय क्र.58 दिनांक 17.02.14 पर विचार किया गया।

2. विचारोपरान्त आयुक्त के पत्र के संलग्न संक्षेपिका में दर्शाई स्थिति एवं अनुशंसा के प्रकाश में सदर कार्य हेतु अनुमान पत्रक राशि रूपये 15,20,000/- की दिनांक 29.8.13 को प्राप्त को प्राप्त एकल निविदा में निविदा समिति की अनुशंसा अनुसार न्यूनतम निविदादरदाता मेसर्स गुरुकृपा इन्टरप्राइजेस द्वारा प्रस्तुत न्यूनतम 2.40 प्रतिशत अधिक की राशि रूपये 36,480/- अनुसार कुल आकार राशि रूपये 15,56,480/- के कार्य की प्रस्ताव अनुसार वित्तीय तथा निविदा दर की स्वीकृति दी जाती है। इसमें होने वाला कार्य मानक स्तर एवं गुणवत्ता पूर्ण होने के प्रमाणीकरण के पश्चात ही भुगतान किया जावे।

आयुक्त नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करे।

(ह.)कृष्णमुरारी मोघे
महापौर/पदेन अध्यक्ष
मेयर इन कौंसिल
नगर पालिक निगम,इन्दौर

क्रमांक 2127-28

दिनांक 26.2.14

प्रतिलिपी:-

1. आयुक्त, संलग्न-एक फाईल।
2. रेसीडेन्ट आडिट
की और जानकारी एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
3. सूचना एवं प्रौद्योगिकी अधिकारीकी ओर वेबसाईट पर लोड करने हेतु।

सचिव
नगर पालिक निगम,इन्दौर

मेयर-इन-कौंसिल संकल्प क्रमांक 1074 दिनांक 26-02-2014

उद्यान विभाग के अन्तर्गत झोन क्र.13 वार्ड क्र.61 परस्पर नगर म.न. 33 के सामने स्थित ग्रीन बेल्ट खुली भूमि पर जाली लगाने के संबंध में आयुक्त का पत्र क्र. एस.ई. /उद्यान 1317 दिनांक 18.02.14 पर विचार किया गया।

2. विचारोपरान्त आयुक्त के पत्र के संलग्न संक्षेपिका में दर्शाई स्थिति एवं अनुशंसा के प्रकाश में सदर कार्य हेतु अनुमान पत्रक राशि रूपये 9,78,000/- की दिनांक 19.8.13 को प्राप्त को प्राप्त एकल निविदा में निविदा समिति की अनुशंसा अनुसार न्यूनतम निविदादरदाता मेसर्स भगवतीराज कंस्ट्रक्शन द्वारा प्रस्तुत न्यूनतम 8 प्रतिशत अधिक की राशि रूपये 78,240/- अनुसार कुल आकार राशि रूपये 10,56,240/- के कार्य की प्रस्ताव अनुसार वित्तीय तथा निविदा दर की स्वीकृति दी जाती है। इसमें होने वाला कार्य मानक स्तर एवं गुणवत्ता पूर्ण होने के प्रमाणीकरण के पश्चात ही भुगतान किया जावे।

3. किये जाने वाला कार्य मानक स्तर एवं गुणवत्ता पूर्ण होने के प्रमाणीकरण के पश्चात ही भुगतान किया जावे।

आयुक्त नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करे।

(ह.)कृष्णमुरारी मोघे

महापौर/पदेन अध्यक्ष

मेयर इन कौंसिल

नगर पालिक निगम,इन्दौर

क्रमांक 2129-30

दिनांक 26.2.14

प्रतिलिपी:-

1. आयुक्त, संलग्न-एक फाईल।
2. रेसीडेन्ट आडिटर की और जानकारी एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
3. सूचना एवं प्रौद्योगिकी अधिकारीकी ओर वेबसाईट पर लोड करने हेतु।

सचिव

नगर पालिक निगम,इन्दौर

मेयर-इन-कौंसिल संकल्प क्रमांक 1075 दिनांक 26-02-2014

रिलायंस जी.ओ. इन्फोकॉम लि.द्वारा उद्यानों को विकसित करने संबंध में आयुक्त की टीप दिनांक 26.2.2013 एवं रिलायंस जी.ओ. इन्फोकॉम लिमिटेड के एम.ओ.यू.ड्राफ्ट दिनांक 24.12.13 पर विचार किया गया। चर्चा की गई।

2. विचारोपरान्त चर्चा के प्रकाश में रिलायंस जी.ओ. इन्फोकॉम लिमिटेड के एम.ओ.यू.ड्राफ्ट दिनांक 24.12.2013 का परीक्षण कर निगम हित में अन्य बिन्दुओं का समावेश कर विधिक अभिमत के साथ प्रकरण प्रस्तुत किया जावें।

आयुक्त नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करे।

(ह.)कृष्णमुरारी मोघे

महापौर/पदेन अध्यक्ष

मेयर इन कौंसिल

नगर पालिक निगम,इन्दौर

क्रमांक 2131-32

दिनांक 26.2.14

प्रतिलिपी:-

1. आयुक्त, संलग्न-एक फाईल।
2. रेसीडेन्ट आडिटर की और जानकारी एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
3. सूचना एवं प्रौद्योगिकी अधिकारीकी ओर वेबसाईट पर लोड करने हेतु।

सचिव

नगर पालिक निगम,इन्दौर

मेयर-इन-कौंसिल संकल्प क्रमांक 1076 दिनांक 26-02-2014

झोन क्र.त्र12 वार्ड क्र.54 सिंधी कालोनी स्थित शासकीय स्कूल में शेड का निर्माण करने के संबंध में आयुक्त का पत्र क्र.193/सी.ई. /बिल्स /13-14 दिनांक 17.1.14 पर प्रभारी शिक्षा समिति की राय पर विचार किया गया।

2. विचारोपरान्त आयुक्त के पत्र के संलग्न संक्षेपिका में दर्शाई स्थिति एवं अनुशंसा के प्रकाश में सदर कार्य हेतु अनुमान पत्रक राशि रूपये 9,71,500/- की दिनांक 8.8.13 को प्राप्त 02 निविदाओं में निविदा समिति अनुशंससा अनुसार न्यूनतम निविदा दरदाता मेसर्स एन. एस.इन्फ्रास्ट्रक्चर द्वारा प्रस्तुत दर रूपये 10.00 प्रतिशत अधिक राशि रूपये 97,150/- सहित कुल आकार राशि रूपये 10,68,650/- के कार्य वित्तीय एवं प्रशासकीय स्वीकृति दी जाती है। इसमें होने वाला संबंधित बजट मद में से होगा।

3. कार्य निर्धारित मानकस्तर एवं गुणवत्ता पूर्ण होने के प्रमाणीकरण के पश्चात ही भुगतान किय जावे।

आयुक्त नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करे।

(ह.)कृष्णमुरारी मोघे

महापौर/पदेन अध्यक्ष

मेयर इन कौंसिल

नगर पालिक निगम,इन्दौर

क्रमांक 2133-34

दिनांक 26.2.14

प्रतिलिपी:-

1. आयुक्त, संलग्न-एक फाईल।
2. रेसीडेन्ट आडिट की और जानकारी एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
3. सूचना एवं प्रौद्योगिकी अधिकारीकी ओर वेबसाईट पर लोड करने हेतु।

सचिव

नगर पालिक निगम,इन्दौर

